रखरखाव योजना वाली खराब सड़कों के नवीकरण पर खर्च होने वाली राशि का नहीं होगा भुगतान

संवाददाता, पटना

उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि

रखरखाव योजना वाली खराब सड़कों के नवीकरण पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा. उसी राशि से अगले वर्ष नवीकरण कराया जायेगा, जिससे अधिक समय तक सड़क ठीक रह सके. उपमुख्यमंत्री ने यह बातें ओपीआरएमसी की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को अधिकारियों और अभियंताओं से कहीं. इस दौरान कई जिलों की सड़कों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण भी किया गया. समीक्षा के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई है कि ओपीआरएमसी के तहत चयनित सड़कों का चार वर्ष पर नवीकरण करने की ठेकेदारों की जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि राज्य में 4700 किमी

कई मामलों में इंजीनियरों ने ठेकेदारों को पहुंचाया है लाभ, होगी जांच : विजय

समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिनमें नवीकरण की आवश्यकता नहीं रहने पर भी अभियंताओं के द्वारा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़कों का नवीकरण कराया गया है. ऐसे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच का निर्देश अभियंता प्रमुख को दिया गया है. अभियंता प्रमुख को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीआरएमसी के तहत लगभग 1300 सड़क शामिल हैं. इनकी कुल लंबाई लगभग 10200 किमी है.

सड़कों का जल्द नवीकरण किये जाने का निर्देश अभियंताओं को दिया गया है. साथ ही अन्य सड़कों के संबंध में भी स्थलीय निरीक्षण कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी है.